पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.4.18 को पेश।

...ली पेश हुई
...वक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
...उपस्थित
...अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.
...अनुपस्थित
...वाही जारी........................
आगामी पेशी दिनांक........................
को पेश हो।

23.4.18 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर शामिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय ...
...लास :– सुरे...

...मप्रकाश पुत्र मन...
...हेन्द्रसिंह पुत्र मनी...

...रीराम पुत्र चेतनर...
...राम पुत्र मनीराम
...राम पुत्र मनीराम
...मला पुत्री मनीरा...
...रियाणा।
...मैला पुत्री मनीर...
...रआरडब्ल्यू तहसी...
...बीआई बैंक हनुम...

...त :–
श्री इन्द्राज गोदा...
श्री अमरीकसिंह ...

संक्षेप रूप मे तथ्...
के नाम चक 14...
...डब्ल्यू खाता सं. 1...
...ण के दादा स्व. चे...
...द हुई। उक्त वर्णि...
...दीगण सं. 2 ता 5...
... हो चुका है तथ्...
...वारा (पारिवारिक स...
...व 5 ने घररूबंटवारा...
... मे हक त्याग कर...
... बराबर के खातेद...
...घररूबंटवारा के रोज...
...वे कि चक 14 एच...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. भैराराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विमला पुत्री मनीराम पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील जिला सिरसा हरियाणा।
5. उर्मिला पुत्री मनीराम पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 चक 2 आरआरडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. एसबीआई बैंक हनुमानगढ़ टाउन।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 39 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–
1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरीकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 5

निर्णय दिनांक :– 23.4.18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 मे 3.573 है0 मय गैरमुमकिन व चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 193/149 मे 2.720 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण के दादा स्व. चेतनराम की भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरासतन प्रतिवादी सं. 1 पर औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का जन्म से ही अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने उक्त पैतृक भूमि का घरूबंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 उक्त भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज रहकर घरूबंटवारा के रोज से काश्त कर रहे है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 मे 3.573 है0 मय गैरमुमकिन भूमि व चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 193/149 मे 2.720 है0 भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 व वादी की ओर से दिनांक 16.03.2018 को स्वयं उपस्थित आकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 के लिफ हक को सुरक्षित रखते हुए तलबी बंद की गई।

वादीगण की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी क 14 एचएमएच खाता सं. 95 सम्वत 2070–73, जमाबंदी चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 म्वत 2072–75, जमाबंदी चक 14 एचएमएच खाता सं. 23/26 सम्वत 2048–51 व ारिसनामा की चित्रप्रति पेश किये गये।

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद साबित होने से वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा प्रश्नगत आराजी मे है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने अपना हक परित्याग घरूबंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष मे किया है। पक्षकारो ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी चक 14 एचएमएच खाता सं. 23/26 सम्वत 2048–51 से वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद होना साबित होता है तथा जमाबंदी चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 सम्वत 2070–73, जमाबंदी चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 सम्वत 2072–75 अनुसार उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को प्राप्त हुई है। जद्दी जायदाद होने से इनका प्रश्नगत आराजी मे Birth Right है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादीगण घरू विभाजन मे मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहा है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

अतः वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 मे 3.573 है0 मय गैरमुमकिन भूमि व चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 193/149 मे 2.720 है0 भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 4 व 5 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादीगण से वसूल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 22.5.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

जलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

औमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
महेन्द्रसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

मनीराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
बलराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
भैराराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
विमला पुत्री मनीराम पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील जिला सिरसा हरियाणा।
5. उर्मिला पुत्री मनीराम पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 चक 2 आरआरडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. एसबीआई बैंक हनुमानगढ़ टाउन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या 39 सन् 2018 निर्णय दिनांक 23.4.18
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 श्री अमरीकसिंह की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 14 एचएमएच खाता सं. 95 मे 3.573 है0 मय गैरमुमकिन भूमि व चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 193/149 मे 2.720 है0 भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 4 व 5 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादीगण से वसूल किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 23.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner